प्राप्त दिनांक
R
16/1/17

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

टी.सी.जी./1–ए–वी 6, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।

R.A.C
4:15 PM

पत्रांक 2276/न0नि0(1)/वि0क्षे0–पड़रौना/2016–17 दिनांक 13/01/2017

सेवा में,

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, पड़रौना,
जनपद–कुशीनगर।

विषयः– विनियमित क्षेत्र, पड़रौना में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र संख्या–276/16 पर अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर को सम्बोधित अपने पत्र संख्या–273/नि0प्रा0वि0क्षे0–पड़रौना दिनांक 31.03.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्वालिटी डेवलपर्स द्वारा विनियमित क्षेत्र, पड़रौना में प्रस्तावित व्यवसायिक एवं मल्टीप्लेक्स के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु संदर्भित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण गोरखपुर खण्ड द्वारा मुख्यालय को पत्रांक–45 दिनांक 29.04.2016 द्वारा परीक्षण एवं अनापत्ति हेतु प्रेषित किया गया है।

2. उपरोक्त के संदर्भ में मुख्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या–215 दिनांक 08.06.2016 के अनुपालन में सहयुक्त नियोजक, गोरखपुर खण्ड ने अपने पत्र संख्या–695 दिनांक 22.12.2016 के माध्यम से पड़रौना महायोजना के पार्ट प्लान पर स्थल की स्थिति दर्शाते हुए आख्या उपलब्ध करायी है। प्रकरण का परीक्षण मुख्यालय स्तर पर किया गया एवं निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तुत मानचित्र पर अनापत्ति प्रदान की जाती है:–

2.1 सिनेमा प्राधिकारी से अनापत्ति/लाइसेन्स प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

2.2 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति प्राप्त किया जाना होगा।

2.3 भूकम्परोधी निर्माण से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

2.4 स्थल के सामने स्थित महायोजना मार्ग में किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

2.5 प्रस्तावित स्थल नहर से लगा हुआ है। अतः सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना होगा।

Scanned by CamScanner

2.6 रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान शासनादेश संख्या–यू–ओ–35/आ–01–05 दिनांक 25.04.2006 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना होगा।

2.7 लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति प्राप्त किया जाना होगा।

2.8 प्रकरण के साथ प्रस्तावित निर्माण की स्ट्रक्चरल डिजाईन नहीं प्रस्तुत की गयी है। अतः स्थानीय स्तर पर इसे प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जानी होगी।

2.9 विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धी अनापत्ति लिया जाना होगा।

2.10 खुले स्थान में 40 वृक्ष लगाये जाने होंगे।

2.11 आर0बी0ओ0 एक्ट एवं सम्बन्धित नियमावलियों तथा सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानानुसार नियमानुसार समस्त शुल्क, बैंक गारंटी आदि जमा कराया जाना होगा।

2.12 मेकेनाइज्ड पार्किंग की वास्तविक डिजाईन प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जानी होगी।

2.13 नियमानुसार अन्य सभी सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

2.14 भू–स्वामित्व अभिलेखों का सत्यापन नियत प्राधिकारी स्तर पर करना होगा।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों की प्रतिपूर्ति के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

संलग्नक: दो सेट हस्ताक्षरयुक्त मानचित्र।

भवदीय,

(अजय कुमार मिश्र) 12.1.17
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:– सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, गोरखपुर को उनके पत्र संख्या–605/मा0आ0/नि0प्रा0वि0क्षे0–पडरौना/गो0ख0/2016–17 दिनांक 22.12.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

Scanned by CamScanner